प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा,देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : सेवायें–3/ 5108 /2018–19, दिनांक 06 जून 2018

विषय :– **मात्राकरण के फलस्वरूप विभागान्तर्गत कार्यरत् प्रधान सहायकों के समायोजन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 759/XXIV–2/17–06(01)/2008 दिनांक 15 सितम्बर 2017 तद्नुसार निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या : सेवायें–3/380/ 2017–18, दिनांक 19 सितम्बर 2017 के द्वारा प्रदेशान्तर्गत विद्यालयी शिक्षा विभाग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है।

उक्त व्यवस्था लागू होने के उपरान्त विभागान्तर्गत कार्यरत् प्रधान सहायकों, जिनका वर्तमान कार्यरत् संस्था में पद समाप्त हो गया है, का अन्यत्र कार्यालय/ विद्यालयों में समायोजन किया जाना है। समायोजन होने वाले प्रधान सहायकों की सूची, रिक्त पदों की सूची एवं विकल्प पत्र संलग्न कर विभागीय वैबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड करते हुए निर्देशित करना है कि आपके जनपदान्तर्गत सूची में अंकित प्रधान सहायकों के कार्यरत् विद्यालय/कार्यालय की श्रेणी के समान श्रेणी या दुर्गम श्रेणी के रिक्त पदों वाले विद्यालय/कार्यालयों के नाम वरीयतानुसार रिक्त दस स्थल अंकित करते हुए विकल्प पत्र संकलित कर अनिवार्यतः तीन दिन के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही विभागीय वेवसाईड पर अपलोड की जा रही रिक्तियां निदेशालय में धारित अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी संस्था में पद रिक्त न हो अथवा पद रिक्त हो तो तद्नुसार निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न – यथोपरि।

भवदीय,

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड